रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 1986/भाद्रपद 26, 1908

No. 435] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 1986/BHADRA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

बीमा

### भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986

सा.का.नि. 1091(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के कतिपय निबन्धनों और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "विकास अधिकारी" से निगम का वर्ग 2 का पूर्णकालिक वैतनिक कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो 1 सितम्बर, 1956 को निगम का कर्मचारी हो गया था और विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है;

(ग) "विशेष उपबंध" से कर्मचारीवृन्द नियमों की अनुसूची 3 में अंतर्विष्ट उपबंध अभिप्रेत हैं;

(घ) "कर्मचारिवृन्द नियम" से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1960 अभिप्रेत हैं, जो अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2क) के अनुसार नियम समझे जाते हैं;

(ङ) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित उन शब्दों और पदों के, जो कर्मचारिवृन्द नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो कर्मचारिवृन्द नियमों में हैं।

3. विकास अधिकारियों की सेवा की शर्तें—कर्मचारिवृन्द नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों में सम्मिलित विषयों के संबंध में विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें इन नियमों में इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगी।

4. वेतनमान—(1) विकास अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित के अनुसार होंगे:—

812 GI/86—1

ग्रेड 1: 700-60-1060-70-1130-द.रो.-70-1340-80-1740-द.रो.-80-2380 रु.

ग्रेड 2: 480-20-520-30-610 रु.

(2) विकास अधिकारी को उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतन और इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अन्य भत्ते कर्मचारिवृन्द नियमों के विनियम 51 के अनुसार विनियमित होंगे।

5. मंहगाई भत्ता (1) विकास अधिकारियों के मंहगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा:

(क) सूचकांक: अखिल भारतीय कर्मकार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात "सूचकांक" कहा गया है);

(ख) आधार: 1960 की श्रृंखला में सूचकांक सं. 332-100;

(ग) दर: 332 अंकों के ऊपर सूचकांक के त्रैमासिक औसत में प्रत्येक 8 अंकों के लिए मूल वेतन का 2 प्रतिशत किन्तु प्रत्येक 8 अंकों के लिए अधिक से अधिक 31.60 रुपए (जिसे इसमें इसके पश्चात 'विनिर्दिष्ट दर' कहा गया है)।

(2) विनिर्दिष्ट दर पर देय मंहगाई भत्ते का ऊपर की ओर पुनरीक्षण निम्न प्रकार से किया जाएगा,—

(i) विकास अधिकारियों के लिए जो रु. 1600/- से अनधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं, सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर प्रत्येक आठ अंकों की वृद्धि के लिए 332-340-348-356-364-372-380-388-396-404 के क्रम में, तथा इसी प्रकार आगे; और

(ii) 1600 रु. से अधिक मूल वेतन पाने वाले विकास अधिकारियों के लिए सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर 24 अंकों के क्रम में प्रथम सोलह अंकों की वृद्धि के लिए और सूचकांक के त्रैमासिक औसत में अगले आठ अंकों की वृद्धि के लिए 332-348-356-372-380-396-404 तथा इसी प्रकार आगे।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी समय किसी भी अनुक्रम पर उपनियम (2) के अनुसार देय मंहगाई भत्ता यदि निम्नतर मूल वेतन के लिए अनुदेय से कम है तो सुसंगत श्रृंखला पर अनुक्रम पर देय मंहगाई भत्ता निम्नतर मूल वेतन के लिए देय के बराबर होगा।

(4) विकास प्राधिकारियों को देय मंहगाई भत्ते का मूल वेतन की संबंधित श्रृंखलाओं में नीचे की ओर पुनरीक्षण होगा यदि सूचकांक का त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात "चालू औसत अंक" कहा गया है) उपनियम (2) में निर्दिष्ट संबंधित क्रम में उस सूचकांक के नीचे गिर जाता है जिसके प्रति निर्देश से अंतिम पूर्ववर्ती त्रैमास के लिए मंहगाई भत्ते का संदाय किया गया है, और नीचे की ओर पुनरीक्षण होने पर, देय मंहगाई भत्ता चालू औसत अंकों के तत्समान होगा यदि ऐसा चालू औसत अंक सुसंगत श्रृंखला में अंक है; तथा देय मंहगाई भत्ता सुसंगत श्रृंखला में चालू औसत अंक के ठीक प्रथामी अंक के तत्समान होगा यदि ऐसा चालू औसत अंक श्रृंखला में अंक नहीं है।

(6) मकान किराया भत्ता—(1) विकास अधिकारियों का, उनके सिवाए जिन्हें स्टाफ क्वार्टर आबंटित किए गए हैं, मकान किराया भत्ता, 2000 रुपए मूल वेतन तक मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर पर, 2000 रुपए से अधिक की दशा में मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर, किन्तु अधिक से अधिक 325 रुपए प्रतिमास तक, होगा।

(2) ऐसे विकास अधिकारी, जिन्हें स्टाफ क्वार्टर आबंटित किए गए हैं, किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे किन्तु वे उन्हें आबंटित स्टाफ क्वार्टर के लिए, मूल वेतन के 10 प्रतिशत या उपयुक्त अनुज्ञप्ति शुल्क के समतुल्य रकम का, दोनों में से जो भी कम हो, संदाय करेंगे।

7. नगर प्रतिपूरक भत्ता—विकास अधिकारियों के लिए नगर प्रतिपूरक भत्ते की दरें निम्नलिखित होंगी:—

(क) ऐसे विकास अधिकारियों को जो 12 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में और पणजी तथा मारमुगोआ के नगरीय क्षेत्रों में पदस्थ हैं, मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर, किन्तु कम से कम 75 रुपए प्रतिमास और अधिक से अधिक 150 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए, संदाय किया जाएगा;

(ख) ऐसे विकास अधिकारियों को जो 5 लाख से अधिक किन्तु 12 लाख से अनधिक आबादी वाले नगरों में, 12 लाख से अनधिक आबादी वाली राज्य-राजधानियों और चंडीगढ़, पांडिचेरी तथा पोर्ट ब्लेयर में पदस्थ हैं, मूल वेतन के 6 प्रतिशत की दर पर, किन्तु कम से कम 50 रुपए प्रतिमास और अधिक से अधिक 100 रुपए प्रतिमास, संदाय किया जाएगा।

(ग) ऐसे विकास अधिकारी जो खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न स्थानों पर पदस्थ हैं, और 31 मार्च, 1986 को 20 रुपए प्रतिमास की रकम नगर प्रतिपूरक भत्ते के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उक्त रकम तब तक प्राप्त करते रहेंगे जब तक वे उसी स्थान पर पदस्थ रहते हैं और यह रकम भविष्य में मजदूरी पुनरीक्षणों में आमेलित की जाएगी।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजन के लिए, आबादी के आंकड़े वे होंगे जो 1981 की जनगणना रिपोर्ट में दिए गए हैं।

8. भविष्य निधि—(1) परिवीक्षाधीन विकास अधिकारी या अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए विकास अधिकारी या निगम द्वारा अनुमोदित अभिदायी निधि में अभिदाय कर रहे विकास अधिकारी से भिन्न प्रत्येक विकास अधिकारी, निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अपने मूल वेतन के 8-1/3 प्रतिशत की दर से अभिदाय करेगा और निगम भी भविष्य निधि में प्रतिमास ऐसे प्रत्येक अधिकारी के मूल वेतन का अधिक से अधिक 8-1/3 प्रतिशत तक अभिदाय करेगा।

(2) ओरियंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्थानांतरित विकास अधिकारी जो उक्त कंपनी की पेंशन निधि में अभिदाय कर रहे हैं, जिसे केवल ऐसे कर्मचारियों के लिए एक पृथक निधि के रूप में उपान्तरणों सहित, जारी रखा जा रहा है, उक्त निधि को लागू नियमों के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे।

(3) तथापि उपनियम (2) में निर्दिष्ट विकास अधिकारी निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिए अनुज्ञप्त किए जा सकते हैं किन्तु ऐसे विकास अधिकारियों को अर्जित भविष्य निधि में निगम से कोई अभिदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

9. उपदान—(1) ऐसा प्रत्येक विकास अधिकारी—(क) जो पंद्रह वर्ष से अन्यून वर्षों तक (जिसमें 1 सितम्बर, 1956 को या उसके पश्चात भर्ती किए गए कर्मचारियों की बाबत परिवीक्षा की या अस्थायी सेवा की अवधि सम्मिलित नहीं होगी) निगम की निरन्तर सेवा में (जिसमें बीमाकर्ता के पास नियोजित सेवा भी सम्मिलित है) रहा है और—

(i) जिसकी सेवाएं निगम द्वारा किसी भी कारण से समाप्त कर दी जाती हैं; या

(ii) जो स्वेच्छा से निगम की सेवा से त्यागपत्र देता है; या

(ख) जिसकी निगम की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है; या

(ग) जो निगम की सेवा से निवृत्त हो जाता है; या

(घ) जिसकी सेवाएं या तो निरन्तर बीमारी के कारण या किसी ऐसी दुर्घटना के कारण जिसपे वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो जाता है, समाप्त कर दी जाती हैं; या

(छ) जिसकी सेवाएं कर्मचारिवृन्द में कमी करने या सम्थापन के पुन-पुनर्गठन के कारण समाप्त कर दी जाती हैं, उपदान के संदाय के लिए पात्र होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय उपदान, निरन्तर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए (जिसमें बीमाकर्ता के साथ निरन्तर वैतनिक सेवा भी सम्मिलित है) एक मास के सेवान्त मूल वेतन की दर से होगा किन्तु यह 30 वर्ष की सेवा तक अधिकतम 15 मास के सेवान्त मूल वेतन तथा 30 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए, आधे मास के सेवान्त मूल वेतन की दर से होगा :

परन्तु ऐसे विकास अधिकारी द्वारा उसकी सेवा की पूरी अवधि के दौरान 12 मास से अधिक की अवधि तक असाधारण छुट्टी पर बिताई गई अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी।

(3) विकास अधिकारी को अनुज्ञेय उपदान उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार, या भविष्य निधि संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के अधीन, दोनों में से जो उसको अधिक फायदाप्रद हो, क्रमशः अवधारित या संगणित किया जाएगा।

(4) ऐसे विकास अधिकारी की दशा में जिसे श्रेणी 3 के काडर से पहली अप्रैल, 1983 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त किया गया था तथा जिसकी मृत्यु या सेवा निवृत्ति नियुक्ति के पश्चात् हो जाती है, उसको देय उपदान उस उपदान से कम नहीं होगा जो उसको उस स्थिति में देय होता यदि उसकी सेवा तब समाप्त कर दी जाती जब वह श्रेणी 3 के काडर में था।

(5) किसी विकास अधिकारी को अनुज्ञेय उपदान की रकम पर निगम को प्राप्त किसी धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, निगम, अधिकारी को या उसके नाम निर्देशिती या नामनिर्देशितियों को, या यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या विद्यमान नहीं है तो अधिकारी के वारिसाधिकारियों को, इस नियम के अधीन अनुज्ञेय उपदान की रकम का संदाय करेगा।

(6) ऊपर के उपनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(i) जहां किसी विकास अधिकारी पर प्रबंधतंत्र या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा से अंतर्वलित किसी कार्य के लिए या नियोजन के स्थान में या उसके निकट किसी दंगात्मक विश्रृंखल व्यवहार के लिए पदच्युति की शास्ति अधिरोपित की जाती है वहां उसे देय उपदान पूर्णतः समपहृत हो जाएगा; और

(ii) जहां किसी विकास अधिकारी पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति, सेवा से हटाए जाने या पदच्युति की शास्ति उसके, किसी ऐसे कार्य के लिए जिसके निगम को वित्तीय हानि सहनी पड़े, अधिरोपित की जाती है वहां उसको देय उपदान से उतनी रकम समपहृत होगी जितनी हानि हुई है।

10. साम्यापूर्ण अनुतोष :—(1) नियम 1 के उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम कर्मचारिवृन्द नियमों के विनियम 51 के अधीन इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा, विद्यमान विकास अधिकारियों का इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन 1 अप्रैल, 1984 से नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा और साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में संबलम की बकाया राशि मंजूर करेगा।

परन्तु,—

(क) 1 अप्रैल, 1984 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए साम्यपूर्ण अनुतोष के रूप में ऐसा संदाय 1986-87 के वित्तीय वर्ष में किया जाएगा, और विशेष उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संदाय का आधा, विशेष उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, संबंधित विकास अधिकारी के, 30 सितम्बर, 1986 के तुरंत पश्चात् से आरंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों के भाग के रूप में होगा ; और

(ख) 1 अप्रैल, 1985 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में ऐसा संदाय वित्तीय वर्ष 1987-88 में किया जाएगा, और विशेष उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संदाय का आधा, विशेष उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, संबंधित विकास अधिकारी के, 30 सितम्बर, 1987 के तुरंत पश्चात् आरंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों के भाग के रूप में होगा, और ऐसे संदाय का दूसरा आधा भाग 30 सितम्बर, 1988 के ठीक पश्चात आरंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष में उसकी वार्षिक परिलब्धियों के भाग के रूप में होगा।

स्पष्टीकरण :—इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "विद्यमान विकास अधिकारी" पद से ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत है जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विकास अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(2) संदेहों के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 1986 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत संदाय उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्षों में वार्षिक परिलब्धियों के भाग के रूप में होंगे।

(3) निगम, कर्मचारिवृन्द नियमों के विनियम 51 के अधीन उस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा, उन व्यक्तियों के लिए, जो 1 अप्रैल, 1984 या उसके पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व विकास अधिकारियों के रूप में काम कर चुके हों, इन नियमों द्वारा यथापुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा, उन्हें विकास अधिकारियों के रूप में उनकी सेवाओं के समाप्त हो जाने की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधि के लिए कोई साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में संदाय किया जा सकता है या नहीं और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम कितनी और उसके निबंधन और शर्तें क्या होंगी :

परन्तु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत, जिनकी सेवाएं विशेष उपबंधों के अधीन पर्यवसित की गई हैं, साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में कोई संदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां मूल वेतन इस नियम के अनुसार नियत किया जाता है, वहां इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य भत्ते और फायदे भी ऐसे नियतन के आधार पर देय होंगे।

11. निर्वचन :—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा।

[फा.सं. 2 (64)/बीमा–3/86]

ए.के. पांड्या, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

INSURANCE

New Delhi, the 17th September, 1986

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA DEVELOPMENT OFFICERS (REVISION OF TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE) RULES, 1986

G.S.R. 1091(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life

Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules regulating certain terms and conditions of service of Development Officers of the Life Insurance Corporation of India, namely :—

1. Short tittle and commencement:— (1) These rules may be calleed the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1986.

2. Definitions.—In these rules, unless the context of otherwise requires,—

(a) "Act" means the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);

(b) "Development Officer" means a Whole-time salaried employee of the Corporation belonging to cllass II and includes any person who became an employee of the Corporation on the 1st day of September, 1956 and is working as a Development Officer ;

(c) "special provisions" means the provisions contained in Schedule III to the Staff Rules ;

(d) "Staff Rules" means the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960, which by virtue of sub-section (2A) of section 48 of the Act are deemed to be rules ;

(e) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Staff Rules shall have the meanings assigned to them in the Staff Rules.

3. Conditions of service of Development Officers.—Notwithstanding anything contained in the Staff Rules, the terms and conditions of service of Development Officers relating to matters covered by these rules shall be regulated in accordance with the provisions hereinafter contained in these rules.

4. Scales of pay.—(1) The scales of pay of the Development Officers shall be as under :—

Grade I : 700-60-1060-70-1130-EB-70-1340-80-1740-EB-80-2380.

Grade II : 480-20-520-30-610.

(2) The pay referred to in sub-rule (1) and other allowances admissible under these rules to a Development Officer shall be regulated in accordance with regulation 51 of the Staff Rules.

5. Dearness allowance.—(1) The Scales of dearness allowance of Development Officers shall be determined as under :

(a) Index : All India Working Class Consumer Price Index (hereinafter referred to as the "Index");

(b) Base : Index No. 332 in the series 1960=100 ;

(c) Rate : 2 per cent of the basic pay for every eight points in the quarterly average of the index above 332 points, subject to a maximum of Rs. 31.60 for every eight points (hereinafter referred to as the "specified rate").

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable at the specified rate,—

(i) for every eight points rise in the quarterly average of the index above 332 points in the sequence 332—340—348—356—364— 372—380— 388—396 —404 and so on, for Development Officers drawing a basic pay not exceeding Rs. 1600; and

(ii) for the first sixteen points rise in the quarterly average of the index in a Cycle of 24 points rise above 332 points and for the next eight points rise in the quarterly average of the index in the sequence 332—348—356—372—380—396—404 and so on, for Development Officers drawing a basic pay exceeding Rs. 1600.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2), if at any time the dearness allowance payable in accordance with sub-rule (2) at any stage of basic pay is less than that admissible a lower basic pay, the dearness allowance payable at the relevant higher stage shall be equal to that payable for the lower basic pay.

(4) There shall be a downward revision of the dearness allowance payable to Development Officers in the respective ranges of basic pay if the quarterly average of the index (hereinafter referred to as the "current average figure") falls below the index figure in the respective sequences referred to in sub-rule (2) with respect to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter, and, on such downwerd revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the relevant sequence ; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the relevant sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the sequence.

6. House rent allowance.— (1) The scales of house rent allowance of Development Officers, except those who have been allotted staff quarters, shall be at the rate of 15 per cent of the basic pay upto Rs. 2,000, and at the rate of 10 per cent of the basic pay which is in excess of Rs. 2,000/-, subject to a maximum of Rs. 325 per month.

(2) Development Officers who are allotted staff quarters shall not be entitled to any house rent allowance but they shall pay an amount equivalent to 10 per cent of the basic the appropriate licence fee, whichever is less, for the staff quarters allotted to them.

7. City compensatory allowance.— The scale of city compensatory allowance of Development Officers shall be as under:-

(a) Development Officers posted at cities with population exceeding 12 lakhs and the urban agglomerations of Panaji and Mormugoa shall be paid at the rate of 10 per cent of the basic pay, subject to a minimum of Rs. 75/- per month and a maximum of Rs. 150/- per month.

(b) Development Officers posted at cities with population exceeding 5 lakha but not exceeding 12 lakhs, State Capitals with population not exceeding 12 lakhs and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair shall be paid at the rate of 6 per cent of the basic pay, Eubject to a minimum of Rs. 50 per month and a maximum of Rs. 100/- per month.

(c) Development Officers posted at places other than those referred to in clauses (a) and (b), and are in receipt of an amount of Rs.20/- per month as city compensatory allowance on the 31st March, 1986, shall continue to receive the said amount so long as they continue to be posted at the same place to be absorbed in future wage revision.

Explanation.—For the purpose of this rule, the population figures shall be those in the 1981 Census Report.

8. Provident Fund.—(1) Every Development Officer other than a Development Officer on probation or a Development Officer appointed on a temporary basis or a Development Officer who is contributing to a superannuation fund approved by the Corporation, shall contribute every month to the Provident Fund established by the Corporation at the minimum rate of 8-1/3 per cent of his basic pay and the Corporation shall contribute to the said Fund every month a maximum of 8-1/3 per cent of the basic pay of each such officer.

(2) Development Officers who are transferred employees of the Oriental Government Security Life Assurance Company Ltd., and who are contributing to the Pension Fund of that Company, which is being continued with modifications as a separate fund for such employees only, shall be entitled to pension according to the rules applicable to that Fund.

(3) Development Officers referred to in sub-rule (2) may, however, be permitted to contribute to the Provident Fund established by the Corporation but the Corporation shall not be required to make any contribution to the Provident Fund in respect of such Development Officers.

9. Gratuity.—(1) A permanent Development Officer.—(a) who has been in continuous service of the Corporation (including regular salaried service with the Insurer) for not less than 15 years (excluding period of probation or temporary service in respect of employees recruited on or after the 1st September, 1956) and—

(i) whose services are terminated by the Corporation for any reason whatsoever; or

(ii) who voluntarily resigns from the services of the Corporation;

OR

(b) who dies while in service of the Corporation; or

(c) who retires from the service of the Corporation; or

(d) whose service is determined either due to continued illness or accident incapacitating him from the proper discharge of his duties; or

(e) whose services are dispensed with owing to reduction of staff or re-organisation of establishment;

shall be eligible for the payment of gratuity

(2) The gratuity admissible under sub-rule (1) shall be at the rate of one month's terminal basic pay for each completed year of continuous service or part thereof in excess of six months (inclusive of regular salaried service with the Insurer) subject to a maximum of 15 months' terminal basic pay upto 30 years of service, and for service over 30 years, at the rate of half-a-month's terminal basic pay for each completed year of service or part thereof in excess of six months:

Provided that any period spent by such Development Officer on extra-ordinary leave exceeding 12 months during the entire period of his service shall be excluded.

(3) Gratuity admissible to a Development Officer shall be determined in accordance with the provisions of sub-rule (2) or calculated under the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), whichever is more favourable to him.

(4) In the case of a Development Officer who has been appointed from Class III cadre on or after the 1st day of April, 1983 and who dies or retires after such appointment, the gratuity payable to him shall not be less than the gratuity that would have been payable to him if his services had been terminated while he was in Class III cadre.

(5) Subject to any lien the Corporation may have on the amount of gratuity admissible to any Development Officer, the Corporation shall pay to the officer or his nominee or nominees, or if no nomination has been made or is subsisting, to his heirs, the amount of gratuity admissible under this rule.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-rules—

(i) where the penalty of dismissal is imposed on a Development Officer for any act involving violence against the management or other employees or any riotous or disorderly behaviour in or near the place of employment, the gratuity payable to him shall stand wholly forfeited; and

(ii) where the penalty of compulsory retirement, removal from service or dismissal is imposed on a Development Officer for any act involving the Corporation in a financial loss, the gratuity payable to him shall stand forfeited to the extent of such loss.

10. Equitable relief.—(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 1, the Corporation may, by instructions issued in this behalf under regulation 51 of the Staff Rules, provide for the fixation of basic pay of existing Development Officers in the scales of pay as revised by these rules, with effect from the 1st April, 1984 and grant arrears of salary by way of equitable relief:

Provided that :

(a) such payment by way of equitable relief for the period commencing on the 1st April,1984 and ending with the 31st March, 1985 shall be made in the financial years 1986-87 and, notwithstanding anything contained in the special provisions, one-half of such payment shall, for the purpose of the special provisions, form part of the annual remuneration of the Development Officer concerned in the appraisal years commencing immediately after the 30th September, 1986; and

(b) such payment by way of equitable relief for the period commencing on the 1st April, 1985 and ending with the 31st March, 1986 shall be made in the financial years 1987-88 and, nowithsanding anything contained in the special provisions, one-half of such payment shall, for the purpose of the special provisions, form part of the annual remuneration of the Development Officer concerned in the appraisal year commencing immediately after the 30th September,1987; and the other half of such payment shall form part of his annual remuneration in the appraisal year commencing immediately after 30th September, 1988.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the expression "existing development officers" means employees who are working as Development Officers on the date of publication of these rules.

(2) For the removal of doubts, it is clarified that the salary relating to the financial year commencing on the 1st April, 1986 shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year.

(3) The Corporation may provide, by instructions issued in this behalf under regulation 51 of the Staff Rules, for fixation of basic pay in the scales of pay as revised by these rules of persons who may have worked as Development Officers on or after the 1st April, 1984 but before the date of publication of these rules, classify them according to the nature of cessation of their service as Development Officers, and specify whether the payment by way of equitable relief may be allowed to any class or Development Officer at all for the period of their service as such and if so, the amount and the terms and conditions thereof:

Provided that no payment by way of equitable relief shall be allowed in respect of the class of Development Officers whose services may have been terminated under the special provisions.

(4) Subject to the other provisions of this rule, where basic pay is fixed in accordance with this rule, the other allowances and benefits as revised by these rules shall also be payable on the basis of such fixation.

11. Interpretation.—Where any doubt or difficulty arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for its decision.

[F. No. 2(64)/Ins. III/86]

A. K. PANDYA, Addl. Secy.

812 GI/86—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986